

24.01.18

पजावली पेशा वकील कार्यालयी अनु०। ब्रॉड

मूल आवेदन अर्थात् परकी अर्थात् हाजरी में खारीज
हो गया है। अतः इस आवेदन में आगे की
कार्यवाही का कोई अर्थ नहीं रहता है।
अतः आवेदन अर्थात् परकी अर्थात् हाजरी में
खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन